न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 20/2022 जिला सीकर

1. लुणाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम शोला, तहसील नेछवा, जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी नेछवा, जिला—सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 3.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर वमुकदमा संख्या 994/2021 प्रकरण नवीन रास्ता अंकन वाके ग्राम शोला खसरा प्रकरण 419 बावत।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —05.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 03.12.2021 के खिलाफ खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.2.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

तहसीलदार नेछवा जिला सीकर ने कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 03.12.2021 के अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधाननुसार ग्राम शोला पटवार मण्डल गाडोदा तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076—2079 के खसरा नंबर 660 में 0.025 हैक्ट्यर भूमि खसरा नंबर 421 में 0.05 हैक्ट्येर भूमि, खसरा नम्बर 419 में 0.10 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 417 में 0.08 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 416 में 0.08 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 415 में 0.07 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 414 में 0.06 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 1145/412 में 0.025 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर 1146/412 में 0.01 हैक्ट्येर भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 410/1 में 0.01 हैक्ट्येर भूमि तथा खसरा नम्बर 410/2 में 0.05 हैक्ट्येर भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 03.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार के पत्रांक 7 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा मौके पर सडक/रास्ता/कदीमी रास्ता को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करने बाबत प्रकरण प्राप्त हुआ। जिसमें तहसीलदार नेछवा द्वारा एक रिपोर्ट प्रशासन गांवों के संग

Scanned by CamScanner

अभियान में दिनांक 03.12.2021 को मुताबि ग्राम शोला पटवार मण्डल गाडोदा तहसील नेछवा के खसरा नम्बर जमाबन्दी 2076 से 2079 के अनुसार 600 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 417 रकबा 0.08 हैक्टेयर खसरा नम्बर 416 रकबा 0.08 खसरा नम्बर 415 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.06 हैक्टे., ख.नं. 1146/412 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 410/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज करना प्रस्तावित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तथा ना ही न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को नोटिस जारी किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 419 अपीलान्टस व अपीलान्टस के अन्य भाई चिमना राम, रामेश्वर लाल, लिखमाराम पुत्रान सुरजाराम के नाम दर्ज है जिसमें मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी प्रार्थना पत्र के दिनांक 02.12.2021 को हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा इसी दिनांक को पीडित पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि किसी किस खसरा नम्बर मे कौन कौन पीडित पक्षकार है न ही आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि किन किन पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये है जो सम्मन नोटिस जारी किये गये है। अपीलाधीन निर्णय न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही जल्द बाजी में पारित किया गया है। अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 419 में से किसी प्रकार का रास्ता चालू नहीं है ना ही पूर्व में चालू था। तथा तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट गलत तैयार कर रास्ता मांगा गया है। इसके बावजूद भी गलत तरीके से अपीलान्ट की भूमि को दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 को निरस्त किया जावे । अपीलान्ट को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकार नहीं बनाया गया था जिस कारण भी अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य में चल रहे लोक डॉउन के दौरान अपीलाधीन आदेशं पारित दिनांक 03.12.2021 को पारित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल के द्वारा लोक डाउन की पालना बाबत दिशा निर्देश दिये गये थे। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 01.02.2022 को अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति लिपि प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर समाहत फरमाई जावे।

रेसपोडेन्ट संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नेछवा जिला सीकर ने कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 03.12.2021 के अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधाननुसार ग्राम शोला पटवार मण्डल गाडोदा तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नंबर 660 में 0.025 हैक्ट्यर भूमि खसरा नंबर 421 में 0.05 हैक्ट्रेयर भूमि, खसरा नम्बर 419 में 0.10 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 417 में 0.08 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 416 में 0.08 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 415 में 0.07 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 414 में 0.06 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 1145/412 में 0.025 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर 1146/412 में 0.01 हैक्ट्रेयर भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 410/1 में 0. 01 हैक्ट्रेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 410/2 में 0.05 हैक्ट्रेयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 03.12.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 419 में जिस खसरा से रास्ता

Scanned by CamScanner

फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है, आम रास्ता है, शिविरों के दौरान ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 01.02.2022 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार नेछवा के प्रस्ताव दिनांक 03.12.2021 के अनुसार कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 03.12.2021 के अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधाननुसार ग्राम शोला पटवार मण्डल गाडोदा तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नंबर 660 में 0.025 हैक्ट्यर भूमि खसरा नंबर 421 में 0.05 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 419 में 0.10 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 417 में 0.08 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 416 में 0.08 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 415 में 0.07 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 414 में 0.06 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 1145/412 में 0.025 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 1146/412 में 0.01 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 410/1 में 0.01 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 410/2 में 0.05 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नं. 419 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 03.12.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner